फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नाथूसिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति राव निवासी कारोली तह. आबूरोड जिला सिरोही		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा– **रिव्यू प्रार्थना पत्र** मुकदमा नं. 79 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.11.2022	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 117 / 1975 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.1975 के रिव्यू हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र लगभग 44 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने से प्रार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम 1963 के तहत विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण संख्या 14 / 2019 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम 1963 को खारिज किया गया है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली प्रकरण संख्या 14 / 2019 के साथ नत्थी हो। Bcello (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर,सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner